सहकारी क्रय–विक्रय योजना

कृषकों को परम्परागत बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का गठन किया गया है। क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) का गठन किया गया है, जो कृषि उपजों का क्रय–विक्रय, विधायन, चीनी वितरण, उर्वरक/बीज वितरण तथा मूल्य समर्थन योजना में स्टेट एजेण्ट के रूप में कार्य करते हुए समितियों/केन्द्रों के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद करता है। जनपद स्तर पर 58 जिला सहकारी संघ गठित्त हैं, जिनके द्वारा जनपद स्तर पर कृषि उपजों का क्रय–विक्रय, उर्वरक /बीज वितरण, तथा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों की खरीद की जाती है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर 258 सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का गठन किया गया है, जो उर्वरक/बीज वितरण एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों को उचित मूल्य पर खरीदती है। इनके द्वारा विगत तीन वर्षों एवं आलोच्य वर्ष 2016–17 में किये गये व्यवसाय का विवरण अधोलिखित है:–

(माह फरवरी 2017 तक) (धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	पी0सी0एफ0	डी0सी0एफ0	क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ
2013–2014	455480.00	27991.00	20523.00
2014–2015	515977.00	17587.00	13585.00
2015–2016	523383.00	29843.00	25902.00
2016–2017	371238.00	11902.00	9142.00

3– कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाने एवं बिचौलियों के शोषण से उन्हे मुक्त कराने के उद्देश्य से क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत मूल्य समर्थन योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें कृषकों से उनकी प्रमुख उपज–गेहूँ एवं धान की खरीद की जाती है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत विगत् तीन वर्षों एवं आलोच्य वर्ष 2017–18 में दिनॉक 04.05.2017 तक की गयी गेहूँ खरीद का विवरण अधोलिखित है:–

(मात्रा मै0 टन में)

वर्ष	गेहूँ	धान
2014–15	407085.000	492815.000
2015–16	1041374.000	892502.669
2016–17	455066.366	249371.132
2017–18	638231.352	—

———————